राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1239/2023

रमेशचन्द्र (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी199007000057)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.04.2023
आदेश की दिनांक : 12.04.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पटवार मण्डल कठोल, तह. पहाड़ी जिला भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 21.06.1990 को अजमेर जिले में हुई थी। उनका तर्क है कि पटवारी से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2017–18 व 2018–19 के लिए डीपीसी दिनांक 22.01.2019 को हुई थी। विभिन्न आरोपों के कारण अपीलार्थी का नाम वंचित सूची में डाल दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जो आरोप अपीलार्थी पर लगाये गये थ, उनमें अपीलार्थी पूर्ण रूप से दोषमुक्त हो गया है। इस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति वर्ष 2017–18 की रिक्ति के विरूद्ध दी जानी चाहिए।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि अपीलार्थी को नियम–16 सीसीए के तहत कार्रवाही में व 17 सीसीए की कार्रवाही में दोषमुक्त किया गया है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश

की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक आदेश दिनांक 15.02.2023 (अनुलग्नक–1), जिसमें अपीलार्थी का डीपीसी वर्ष 2022–23 दर्शित किया गया है, उसकी पालना में अपीालार्थी को कार्यग्रहण कराये जाने पर बल नहीं दिया जाये।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)